न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 05/2019

प्रार्थीगण

1. केसाराम पुत्र दोलाजी, जाति–पुरोहित, निवासी–असावा, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
2. मफतलाल पुत्र दौलाजी, जाति–पुरोहित, निवासी–असावा, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
3. मंछाराम पुत्र दौलाजी, जाति–पुरोहित, निवासी–असावा, तह. रेदर, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मिलीन कुमार पुत्र रमणलाल जी दवे, जाति–ब्राह्मण, निवासी– असावा, तह. रेवदर
2. ललीत कुमार पुत्र गवरी शंकरजी दवे, जाति–ब्राहण, निवासी– असावा, तह. रेवदर
3. चेतनकुमार पुत्र रमणलाल जी दवे, जाति– ब्राह्मण, निवासी– असावा, तह. रेवदर
4. अध्यक्ष, ग्रामसभी ग्रामदानी, ग्राम असावा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, उडवारिया, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थीगण की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 18 दिसम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्रामसभा ग्रामदानी, ग्राम असावा द्वारा अप्रार्थी मीलीन कुमार पुत्र रमणलाल जी दवे, जाति– ब्राह्मण, निवासी– असावा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 94 दिनांक 23.12.1987 क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट, अप्रार्थी ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकर जी दवे निवासी– असावा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 52 दिनांक 24.6.1987 क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट एवं अप्रार्थी चेतन पुत्र रणलाल जी दवे, निवासी– असावा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 24.6.1987 क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 से 3 क्रमशः मीलीन कुमार, ललीत कुमार व चेतनकुमार की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये व न ही अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त 2015(2)RRT 967 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम असावा में प्रार्थीगण के पुराने कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ का पुराने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राशि वसूल कर दिनांक 21[illegible] को प्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा संख्या 88 जारी किया गया था, जिस प्रार्थीगण [illegible] पट्टा जारी होने से पूर्व से ही निरन्तर एवं निर्बाध रुप से चला आ रहा है। [illegible] के पक्ष में जारी पट्टा संख्या [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

88 दिनांक 21.5.1982 की चतुर्दशी पूर्व दिशा में दरवाजा 4 व गली, पश्चिम दिशा में पडत भूमि, उत्तर दिशा में सार्वजनिक गली 15 फीट चौडी व दक्षिण दिशा में देवीलाल पुत्र पिताम्बर का भूखण्ड़ है तथा इस पट्टेशुदा भूखण्ड़ का नाप पूर्व–पश्चिम 160 फीट व उत्तर–दक्षिण 60 फीट कुल क्षेत्रफल 9600 वर्गफीट है। प्रार्थीगण को दिनांक 21.05. 1982 को ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा तत्समय प्रचलित राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1966 के तहत पट्टा विलेख जारी किया गया है एवं वर्ष 1982 में ग्राम पंचायतों के अधिकार ग्रामदानी ग्रामसभा को दिये हुए थे, जो बाद में ग्रामदानी ग्रामसभा से ग्राम पंचायतों के अधिकार राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाकर ग्रामदानी ग्रामों में आबादी भूमि हेतु ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, तब से ग्राम असावा को ग्राम पंचायत, उडवारिया में शामिल किया गया। उसके बाद ग्राम असावा को ग्राम पंचायत, सनवाडा में शामिल किया गया। यह कि उक्त वर्णित नाप व चतुदर्शी के भूखण्ड पर प्रार्थीगण का पुराना केलूपोश कच्चा मकान जर्जर व ध्वस्त होने से प्रार्थीगण ने निर्माण कार्य इत्यादि करने हेतु ग्राम पंचायत, सनवाड़ा में निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, सनवाडा द्वारा निर्माण शुल्क की राशि वसूल कर ग्राम पंचायत, सनवाडा द्वारा प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 की भूमि पर निर्माण कार्य करने की स्वीकृति दिनांक 03.6.2015 को दी गई तथा प्रार्थीगण ने नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर अपने पट्टेशुदा भूखण्ड़ के तीन ओर सीमेन्टेड चार दिवारी व पत्थरों की दीवार बनाई एवं एक तरफल तारबंदी की गई तथा मौके पर दरवाजा लगाया तथा टीनशेड लगा हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पट्टे शुदा भूमि पर निर्माण व चार दिवारी का निर्माण करने पर 2 माह पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने मौके पर आकर काफी झगड़ा फंसाद किया व धमकी दी की जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा हैं उस भूमि के ग्राम पंचायत द्वारा हमारे नाम से पट्टा विलेख जारी किये हुए हुए है एवं यह बताया कि इस भूमि का पट्टा संख्या 94 दिनांक 23.121987 को अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में, पट्टा संख्या 52 दिनांक 24.6.1987 को अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में तथा पट्टा संख्या 42 दिनांक 24.6.1987 को अप्रार्थी संख्या–3 के पक्ष में जारी किया हुआ है। तब प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 की पट्टेशुदा भूमि पर ग्रामसभा ग्रामदानी, ग्राम असावा द्वारा अप्रार्थी मीलीन कुमार पुत्र रमणलाल जी दवे, जाति– ब्राह्मण, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 94 दिनांक 23.12.1987 को, अप्रार्थी ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकर जी दवे, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 52 दिनांक 24.6.1987 को एवं अप्रार्थी चेतन पुत्र रमणलाल जी दवे, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 42 दिनांक 24.6.1987 को पुनः जारी किये गये है, जबकि प्रार्थीगण के पट्टेशुदा भूमि का अन्य व्यक्तियों के पक्ष में पुनः पट्टे जारी करने का ग्रामदानी ग्रामसभा असावा को कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण के पक्ष में ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 को जारी किया हुआ है जो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जारी प्रश्नगत पट्टो से पुराना पट्टा है। प्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 एक वैध पट्टा है जिसका ग्राम पंचायत, सनवाडा द्वारा प्रस्ताव 2 दिनांक 15.8.2023 के द्वारा पुर्नविधिमान्य किया गया है एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सनवाडा ने प्रार्थीगण के पक्ष में ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 21. 5.1982 का उप पंजीयक कार्यालय, रेवदर में पंजीयन करवाया गया है जिसके जिसके पंजीयन संख्या 202303300101467 दिनांक 29.8.2023 है, इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा एक पंजीकृत द[illegible]स्तावेज को न तो निरस्त किया जा सकता है तथा न ही पंजीकृत द[illegible]वेज की वैधता पर संदेह किया जा सकता है। यह कि प्रार्थीगण का [illegible] 88 की भूमि पर पट्टा जारी होने से पूर्व से कब्जा है तथा प्रार्थीगण [illegible] 88 की भूमि के दक्षिण दिशा में

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*
सत्यमेव जयते

केशवलाल उर्फ केसुलाल पुत्र गवरीशंकर जी के पट्टा संख्या 67 दिनांक 2.6.1981 का भूखण्ड़ एवं केशवलाल पुत्र गवरीशंकर जी के पट्टा संख्या 67 के भूखण्ड़ के दक्षिण दिशा में भंवरलाल, दीपकलाल पिसरान देवशंकर आदि के पट्टा संख्या 66 दिनांक 02.6.1981 से संबंधित भूखण्ड़ स्थित है जो प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शा में मौके अनुसार काबिज है। अप्रार्थीगण का विवादित पट्टेशुदा भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है एवं नही मौके पर काबिज रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ग्राम असावा के निवासी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा के तत्कालीन अध्यक्ष से मेल मिलाप कर कुटरचित तरीके से प्रश्नगत पट्टे प्राप्त किये है जिसके संबंध में ग्रामदानी ग्रामसभा या ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई रेकर्ड नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी पट्टों में अंकित चतुर्दशी की भूमि मौके पर स्थित नही है, केवल मात्र ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा के तत्कालीन अध्यक्ष ने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 की अवहेलना करते हुए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 की भूमि पर कुटरचित तरीके से पट्टे जारी किये है, जबकि मौके पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कब्जा नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी पश्चातवर्ती पट्टों के कारण प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 इन प्रश्नगत पट्टों की आड में प्रार्थीगण के वैध पट्टेशुदा भूमि में कब्जे पर अवरोध उत्पन्न करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी पट्टा संख्या क्रमशः 94 दिनांक 23.12.1987, पट्टा संख्या 52 दिनांक 24.6.1987 व पट्टा संख्या 42 दिनांक 24.6.1987 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण को ग्रामदानी ग्रामसभा, असवा के द्वारा 180/— लेकर दिनांक 21.5.1982 को पटटा विलेख संख्या 88 जारी नही किया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने ग्रामदानी ग्राम असावा से रेकर्ड की नकल प्राप्त की उसके पत्र दिनांक 19.8.2019 के अनुसार प्रार्थीगण को पट्टा संख्या 88 जारी नही किया है एवं न ही चतुदर्शी सही है। प्रार्थीगण के ग्राम असावा ने दिनांक 21.5.1982 को पटटा जारी नही किया था। ग्रामदानी गावं असावा के गावं की व्यवस्था ग्रामदानी सभा करती थी, लेकिन नया पंचायती राज अधिनियम आने से पंचायतो का अधिकार बढ़ने से ग्राम पंचायत उडवारिया को अधिकार सुपर्द किए गये। यह कि प्रार्थीगण ने पट्टा संख्या 88 के आधार पर प्रार्थीगण ने ग्राम पचायत उड़वारिया से जो निर्माण स्वीकृती ली है, उस हेतु कोई आपत्ति नोटिस नही निकाला है, साथ ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के पूर्व के निर्माण को तोड़ा जिस पर प्रार्थीगण के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया, जिसका चालान हो चुका है। प्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय, रेवदर में एक वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का वर्ष 2015 में पेश किया हुआ था, जो अभी तक सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के कब्जे में अवैध दीवार बनाई है व तारबन्दी भी गलत की है, जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा व भूखण्ड़ नही है। प्रार्थीगण ने निर्माण स्वीकृति दिनांक 03.6.2015 को ली, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को ग्राम पंचायत उडवारीयो से दिनांक 17.9.2019 को नकल लेने पर हुई। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 मुम्बई मे रोजगार हेतु रह[illegible] करने का कोई प्रश्न नही है। प्रार्थीगण ने निर्माण करने के पहले ही सि[illegible]ालय में दावा पेश किया हुआ था इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 से 3 [illegible] बाद में जानकारी होने का कथन गलत है। प्रार्थीग[illegible] 1982 में जारी नही हुआ है एवं न

....पेज चार पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested

ही प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 88 से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत या ग्रामदानी ग्रामसभा में है। ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के पक्ष में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया है एवं ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के साथ अन्य व्यक्तियों सहित कुल 15 पट्टे एक साथ जारी किये गये थे, जिसका एक नक्शा है जवाब के साथ प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सख्या 1 से 3 ने ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा के अध्यक्ष से मेल मिलाप कर पट्टा प्राप्त नही किया है, बल्कि वर्ष 1986 में ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा बैठक में प्रस्ताव दिनांक 3.2.86 को पारित कर निर्णय लेकर विधि अनुसार पट्टा जारी किया है, जिनके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी पटटे जारी किये गये थे। प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 88 की चतुर्दशी मौके अनुसार नही मिलती है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी पट्टों की चतुर्दशी जवाब के साथ प्रस्तुत नक्शें अनुसार मौके पर मेल खाती है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 43 की उपधारा 1 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकःप.8(25)राज/ख/68/पार्ट–IIएस.ओ.133 दिनांक 15.9.1976 के द्वारा ग्रामदान ग्राम असावा की ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की समस्त शक्तियां प्रयोग करने तथा कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करने के अधिकार प्रदत्त किये गये थे। ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा को ग्राम पंचायत के दिये गये अधिकार नया राजस्थान पंचायत राज कानून, 1994 बनने के बाद वापस ले लिये गये थे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RLW 1995(2)(Raj.) Page 387 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्रामदानी ग्रामों में ग्राम पंचायत के अधिकार ग्रामदानी ग्रामसभा को दिये हुए है उनके तहत जारी पट्टे को नये पंचायती राज कानून के तहत निरस्ती करने का अधिकार नही रहेगा। ऐसे मामलों में विवादों का निस्तारण सिविल न्यायालय के द्वारा ही किया जाना चाहिये। राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 के धारा 46 के अनुसार भी इस न्यायालय को ग्रामदानी ग्रामसभा असावा द्वारा जारी पट्टो को निरस्त करने का कानूनन कोई अधिकार नही है, इसलिये प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में प्रश्नगत पट्टे राजस्थान पंचायती राज कानून के तहत बने नियमों में जारी किये गये है, इसलिये इन पट्टों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को ही है।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्रामसभा ग्रामदानी, ग्राम असावा द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत अप्रार्थी मीलीन कुमार पुत्र रमणलाल जी दवे, जाति– ब्राह्मण, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 94 दिनांक 23.12.1987 को क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट, अप्रार्थी ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकर जी दवे, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 52 दिनांक 24.6.1987 को क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट एवं अप्रार्थी चेतन पुत्र रमणलाल जी दवे, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 42 दिनांक 24.6.1987 को क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट भूमि के जारी किये हुये है, जो राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 43 के विलोपित होने से पूर्व में जारी किये गये है। ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा को उस समय ग्राम पंचायत की शक्तियां [illegible] थी।

निगरानी आवेदन में प्रार्थीगण ने यह कथन किया है कि "ग्राम असावा में प्रार्थीगण के पुराने कब्जे भोग[illegible] राजस्थान पंचायती राज

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अधिनियम के राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राशि वसूल कर दिनांक 21.5.1982 को प्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा संख्या 88 जारी किया गया था, जिस प्रार्थीगण का कब्जा पट्टा जारी होने से पूर्व से ही निरन्तर एवं निर्बाध रुप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 की चतुर्दशी पूर्व दिशा में दरवाजा 4 व गली, पश्चिम दिशा में पडत भूमि, उत्तर दिशा में सार्वजनिक गली 15 फीट चौडी व दक्षिण दिशा में देवीलाल पुत्र पिताम्बर का भूखण्ड़ है तथा इस पट्टेशुदा भूखण्ड़ का नाप पूर्व–पश्चिम 160 फीट व उत्तर–दक्षिण 60 फीट कुल क्षेत्रफल 9600 वर्गफीट है।'' प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि ''प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 की पट्टेशुदा भूमि पर ग्रामसभा ग्रामदानी, ग्राम असावा द्वारा अप्रार्थी मीलीन कुमार पुत्र रमणलाल जी दवे, जाति– ब्राह्मण, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 94 दिनांक 23.12.1987 को, अप्रार्थी ललीत कुमार पुत्र गवरीशंकर जी दवे, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 52 दिनांक 24.6.1987 को एवं अप्रार्थी चेतन पुत्र रणलाल जी दवे, निवासी– असावा के पक्ष में पट्टा संख्या 42 दिनांक 24.6.1987 को पुनः जारी किये गये है, जबकि प्रार्थीगण के पट्टेशुदा भूमि का अन्य व्यक्तियों के पक्ष में पुनः पट्टे जारी करने का ग्रामदानी ग्रामसभा असावा को कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण के पक्ष में ग्रामदानी ग्रामसभा, असावा द्वारा पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 को जारी किया हुआ है जो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जारी प्रश्नगत पट्टो से पुराना पट्टा है।''

इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पट्टा संख्या क्रमशः 94 दिनांक 23.12.1987, 52 दिनांक 24.6.1987 व 42 दिनांक 24.6.1987 की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन चारों पट्टों में अंकित चतुर्दशी आपस में मेल नही खाती है। इसके अलावा, प्रार्थी पक्ष की ओर से बहस के दौरान यह भी कथन किया गया है कि ''प्रार्थी निगरानीकर्ताओं के पट्टा संख्या 88 की भूमि के दक्षिण दिशा में केशवलाल उर्फ केसुलाल पुत्र गवरीशंकर जी के पट्टा संख्या 67 दिनांक 2.6.1981 का भूखण्ड़ एवं केशवलाल पुत्र गवरीशंकर जी के पट्टा संख्या 67 के भूखण्ड़ के दक्षिण दिशा में भंवरलाल, दीपकलाल पिसरान देवशंकर आदि के पट्टा संख्या 66 दिनांक 02.6.1981 से संबंधित भूखण्ड़ स्थित है, जो प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शा में मौके अनुसार काबिज है।'' लेकिन प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 व श्री केसुलाल पुत्र गवरीशंकर जी के पट्टा संख्या 67 दिनांक 02.6.1981 में अंकित चतुर्दशी भी आपस में मेल नही खाती है। इस प्रकार, प्रार्थीगण निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि वस्तुतः ग्रामसभा ग्रामदानी, ग्राम, असावा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जिस भूमि के पट्टे जारी किये गये है, वह भूमि ग्रामसभा ग्रामदानी, ग्राम असावा द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 21.5.1982 की भूमि के ही जारी किये गये हो।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थीगण निगरानीकार है, लेकिन प्रार्थीगण निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में ग्रामसभा ग्रामदानी, ग्राम असावा द्वारा वर्ष 1987 में पट्टे जारी किये गये है, लेकिन इन पट्टों को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण निगरानीकार ने पट्टे जारी होने के 31 वर्ष बाद यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है तथा इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थीगण ने कोई ठोस युक्तियुक्त कारण निगरानी आवेदन में अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
* सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested